

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

मं॰ 204] नई विस्तो, शनिवार, जून 23, 1979/श्राष्ट्र 2, 1901 No. 204] NEW DELIU, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नावहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवक्तन पक्ष)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 23 ज्ल, 1979

सा. का. ान. 398 (अ).—मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ परित्त उसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) क्यारा दी गयी यिन्तयों का प्रयोग कारने हुए कंन्द्रीय सरकार थी रिवन्द्र गी. पटोल को गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए काण्डला पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड आफ ट्रस्ट्रीज के नियाधित ट्रस्टी के रूप में धोषित करती हैं और भारत सरकार के नीयहन

और परियहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. जीएसआर-300(ई), दिनाँक 31-3-70 में निम्निक्षिष्टल मंश्रांधन करती हैं, अर्थात् :—

अवस अधिम् चना में क्रम सं. 15 भार तत्मम्बन्धी प्रविष्टियों के बाए, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :--

"16. श्री रविन्द्र गी. पटोल—गांधी धाम चेंम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, गांधाधाम का प्रीतिनिध ।"

[फा. सं. पीटीबी-41/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

## (Transport Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1979

G.S.R. 398(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusty Act, 1963 (38 of 1963), rend with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby notifies the name of Shri Ravindra P. Patel as elected to be a Trustee, representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, on the Board of Trustees of the Port of Kandla, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 300(E), dated the 31st March, 1979, namely:—

In the said notification, after Seriel Number 15 and the entries relating thereto, the following Seriel Number and entry shall be inserted, namely:—

"16. Shri Ravindra P. Patel—Representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, Gandhidham."

[F. No. PTB-41/78]D. K. JAIN, Jt. Secy.